न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,जालोर

पीठासीन अधिकारी — श्री छगनलाल गोयल, आर.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या — 32/2017

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
कंकरकंवर पुत्री केसरसिंहजी, जाति राजपूत,निवासी डूडसी, हाल पत्नि नाहरसिंह, जाति राजपूत,निवासी पहाडपुरा, तहसील जसवंतपुरा, जिला जालोर		1.बिशनसिंह पुत्र केसरसिंहजी 2.जेतसिंह पुत्र केसरसिंहजी 3.अभयसिंह पुत्र केसरसिंहजी 4.छैलसिंह पुत्र केसरसिंहजी, तमाम जाति राजपूत,निवासी डूडसी,तहसील जालोर 5.सूरजकंवर पुत्री केसरसिंहजी, जाति राजपूत, निवासी डूडसी, हाल–पत्नि छैलसिंहजी,जाति राजपूत, निवासी मोरू,तहसील आहोर, जिला जालोर (राज.) 6.तहसीलदार जालोर

अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्ध आदेश तहसीलदार जालोर दिनांक 4.4.1989(ना.क.सं.500)

उपस्थिति :–
1.श्री नैनसिंह राजपुरोहित,अभिभाषक,अपीलांट की ओर से।
2.श्री मंगलसिंह राजपुरोहित,अभिभाषक,रेस्पोडेन्ट सं.1 व 3की ओर से।
3.श्री दुष्यन्तकुमार,अभिभाषक,रेस्पोडेन्ट सं.2,4,5 की ओर से।
4.श्री छोटूसिंह,सरकारी अभिभाषक,रेस्पोडेन्ट सं.6 की ओर से।

निर्णय — दिनांक 6.8.2019

1. अपीलांट के अनुसार अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा डूडसी के पुराना खसरा नम्बर 299 से लगायत 303 व खसरा नम्बर 65,251,510/604,510,511,541,578 कुल रकबा 136 बीघा 7 बिस्वाकी आई हुई है जिसमें से अपीलांट के पिता केसरसिंह पुत्र सरदारसिंह का 1/3हिस्सा हक खातेदारी का था,अपीलांट के पिता केसरसिंहजी का देहान्त आज से लगभग 30 साल पहले हुआ था,उक्त समय अपीलांट के 5 भाई

–बिशनसिंह,अमरसिंह,जेतसिंह,अभयसिंह तथा छैलसिंह तथा एक बहिन सूरजकंवर तथा माता छगनकंवर जीवित थे, हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम की धारा 8 के अनुसार केसरसिंह वल्द सरदारसिंह के हिस्से में आने वाली भूमि का नामान्तरकरण केसरसिंह के सभी वारिसान्–अपीलांट ,रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 5 तथा अपीलांट की माता छगनकंवर के भरना था मगर अपीलांट व उसकी बहिन व उसकी माता छगनकंवर के नाम म्युटेशन नही भरा गया, केवल केसरसिंहजी के पांच जायन्दा पुत्रों के नाम से ही भरकर तहसीलदार जालोर द्वारा स्वीकृत कर दिया जो एब–इनि–श्योवॉइड है। अदालत ने म्युटेशन स्वीकृत के वक्त कानूनी प्रकिया का पालन नहीं किया गया है तथा केसरसिंहजी के वारिसानों की जांच नहीं कर गलत ढंग से म्युटेशन स्वीकृत किया है। उत्तराधिकार का म्युटेशन ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत किया जाता हैं ,अदालत मातहत् ने बिना किसी आधार,बिना क्षेत्राधिकार के म्युटेशन स्वीकृत किया गया है। अपीलांट की माता छगनकंवर का देहान्त हो चुका हैं तथा उसके भाई अमरसिंह का भी देहान्त हुए लगभग ढाई साल हुए है।अपीलांट दिनांक 7.9.17 को पटवारी हल्का के पासे गयी तो पटवारी ने बताया कि आपका नाम खातेदारी में ही दर्ज नहीं हैं,तब म्युटेशन सं. 500स्वीकृत होने का पता लगने पर दिनांक 8.9.17को नकल मांगी जो दिनांक 11.9.17 को प्राप्त होने पर नकल पेश की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर तहसीलदार जालोर का आदेश दिनांक 4.4.89(म्युटेशन सं.500) निरस्त करावे तथा केसरसिंहजी के वारिसान् की जांच कर पुनःम्युटेशन भरने का आदेश प्रदान करावे। अपीलांट ने अपील के साथ धारा 5 लिमिटेशन एक्ट प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र तथा फहरिस्त के साथ म्युटेशन सं. 500 की प्रति आदि नकले पेश की ,इस पर अपील दर्ज कर रेस्पोडेन्ट्स को सम्मन जारी किया व रैकार्ड तलब किया गया।

2. अपीलांट के धारा 5भारतीय परिसीमा अधिनियम के प्रार्थनापत्र के खण्डन में रेस्पोडेन्टगण ने कोई जवाब पेश नही किया गया हैं।

3. रेस्पोडेन्ट सं.2व 4 जेतसिंह पुत्र केसरसिंह,छैलसिंह पुत्र केसरसिंह,जाति राजपूत निवासी डूडसी ने एक दरख्वास्त दिनांक 14.8.2018 को पेश कर निवेदन किया कि पिता केसरसिंह के देहान्त के वक्त उनके पांच पुत्र –बिशनसिंह, अमरसिंह,जेतसिंह,अभयसिंह,छैलसिंह, तथा दो पुत्रिया–कंकरकंवर, सूरजकंवर तथा माता जीवित थी,अपीलांट की माता छगनकंवर व भाई अमरसिंह का देहान्त हो चुका है। गलत भरे गये म्युटेशन सं. 500 दिनांक 4.4.1989 को खारिज कर अगर म्युटेशन अपील स्वीकृत की जाये तथा कंकरकंवर व सूरजकंवर पुत्रियां केसरसिंह के म्युटेशन नाम भर दिया जाता हैं कि उन्हें कोई आपत्ति नही हैं।

4. उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। अपीलांट के अभिभाषक ने अपील में वर्णित तथ्यों को बहस में दोहराया व बताया कि पुराना खसरा नम्बर 299 से लगायत 303,खसरा नम्बर 65,251, 510/604, 510,511,541,578 कुल रकबा 136 बीघा 7 बिस्वा में अपीलांट के पिता केसरसिंह पुत्र सरदारसिंह का 1/3 हिस्सा था, लगभग 30 साल पूर्व केसरसिंह के फौत के समय नामान्तरकरण सं. 500 दिनांक 4.4.1989 केसरसिंह के पुत्रों रेस्पोडेन्ट सं.1 से 4 व अमरसिंह के नाम भरा जाकर स्वीकृत किया गया है जबकि उनकी पुत्रियों अपीलांट –कंकरकंवर,रेस्पोडेन्ट सं. 5–सूरजकंवर तथा माता छगनकंवर के नाम के नाम नही भरा गया है। अपीलांट की माता–छगनकंवर ,भाई अमरसिंह का देहान्त हो चुका है। हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम की धारा 8 के अनुसार केसरसिंह वल्द सरदारसिंह के हिस्से में आने वाली भूमि का नामान्तरकरण केसरसिंह के सभी वारिसान्–अपीलांट ,रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 4,अमरसिंह(पुत्र) ,छगनकंवर (बेवा) तथा पुत्रियों अपीलांट–कंकरकंवर तथा रेस्पोडेन्ट सं.5–सूरजकंवर के भरना था मगर म्युटेशन केवल पुत्रों के नाम ही भरा गया है जबकि केसरसिंह के पुत्रों के अलावा वर्तमान में दो–पुत्रियां (अपीलांट व रेस्पोडेन्ट सं.5) भी हैं जो हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत् खातेदारी में बराबर का अधिकार रखती है। अतःअपीलांट की अपील स्वीकार कर तहसीलदार जालोर का आदेश दिनांक 4.4.1989 (ना.क.सं.500) निरस्त करावे व केसरसिंह के वारिसानों की जांच कर अपीलांट के नाम भी म्युटेशन में बराबर हिस्सा दर्ज करावे। इसके विपरीत रेस्पोडेन्ट सं.1 व 3के वकील ने बहस में बताया कि तहसीलदार जालोर के दिनांक 4.4.1989 के आदेश के विरूद्ध अपीलांट द्वारा अपील दिनांक 10.10.2017 को पेश की गई है जो करीब 28 साल बाद देरी से पेश की जाने से म्याद बाहर है। अतः अपीलांट की अपील खारिज करावे। रेस्पोडेन्ट सं.2,4,5 के वकील ने बहस में बताया कि अपीलांट की अपील स्वीकार कर म्युटेशन सं.500 निरस्त कर केसरसिंह की पुत्रियों अपीलांट व रेस्पोडेन्ट सं. 5 के नाम भी दर्ज किया जाता है तो उसे कोई एतराज नही है।

5. उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया व रैकार्ड का अवलोकन किया गया। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अनुसार किसी हिन्दू पुरूष की मृत्यु पर उसकी विधवा,पुत्रियां, पुत्र सभी का समान हक सम्पति में उत्पन्न होता हैं। मौजा डूडसी के नामान्तरकरण सं.500 जो तहसीलदार जालोर द्वारा दिनांक 4.4.1989को केवल मृतक केसरसिंह के 5 जायन्दा पुत्रो रेस्पोडेन्ट सं.1 से 4 व अमरसिंह के नाम ही स्वीकृत किया गया है जबकि उक्त समय केसरसिंह की बेवा छगनकंवर, व पुत्रियां अपीलांट–कंकरकंवर तथा रेस्पोडेन्ट सं. 5 भी जीवित थी लेकिन केसरसिंह

के 5 पुत्रों के अलावा शेष के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत नही किया गया है जिनमें से अपीलांट कंकरकंवर भी एक है। हस्तगत प्रकरण में केसरसिंह की मृत्यु होने पर खसरा नम्बर 299 से 303, 65, 251, 510/604, 510, 511 अपीलांट आदि वारिसान् का अधिकार जरिये उत्तराधिकार उत्पन्न हुआ लेकिन नामान्तरकरण सं.500 के द्वारा सिर्फ केसरसिंह के 5 पुत्रों का नाम ही दर्ज किया गया है इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय ने सिर्फ पुत्रों को ही हकदार मानकर भूल की है।

उत्तराधिकार के नामान्तरकरण में कब्जे का प्रश्न गौण होता है सिर्फ यह देखा जाता हैं कि मृतक काश्तकार के उत्तराधिकारी कौन–कौन है। सभी का कब्जा नही होने के उपरान्त भी विधिवत् सभी उत्तराधिकारियों के नाम दर्ज किये जाने का प्रावधान है।

जिस दिन केसरसिंह की मृत्यु हुई उसी दिन अपीलांट व रेस्पोडेन्ट सं.1 से 5 व पुत्र–अमरसिंह तथा बेवा–छगनकंवर विवादित आराजी के खातेदार स्वतः बन गये ,उन्हे केसरसिंह की मृत्यु के समय उनको यह अधिकार उत्पन्न हो गया था। जमाबंदी संवत् 2042–2045 में अपीलांट व रेस्पोडेन्ट सं.5–सूरजकंवर तथा छगनकंवर बेवा केसरसिंह का नाम नही होने से उनके अधिकार समाप्त नही हो जाते है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार योग्य है।

आदेश

अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार जालोर का आदेश दिनाक 4.4.1989 (ना.क.सं.500) निरस्त किया जाता है व प्रकरण तहसीलदार जालोर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि मृतक–केसरसिंह के समस्त वारिसान् के सबंध में पुनः जांच कर नये सिरे से नामान्तरकरण की कार्यवाही करे। पत्रावली फैसल सुदा मानी जाकर,नम्बर से कम होकर,बाद तकमील तरतीब के बाजाब्ता दफ्तर दाखिल हो।

(छगनलाल गोयल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जालोर

निर्णय,आज दिनांक 6.8.2019 को खुले न्यायालय में पढ़कर सुनाया गया।

(छगनलाल गोयल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जालोर

Signature Not Verified
Digitally signed by Chhagan Lal Goyal
Date: 2019.12.18 16:36:12 IST
Reason: SelfAttested
Location: